50

आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

संख्या : 1320/बीएफटी/01/07–08

दिनांक : फरवरी 19, 2016

पूर्णता प्रमाण–पत्र

ताजगंज वार्ड, आगरा में स्थित खसरा संख्या–142/2, मौजा–तोरा, तहसील व जिला आगरा पर निर्मित व्यवसायिक भवन के सम्बन्ध में मै0बन्देजिया बिल्डर प्रा0लि0 द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र का परीक्षण श्री फजल अहमद, अवर अभियंता(भवन) व श्री वी0पी0सिंह, अवर अभियंता(भवन), आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है–

1– **फायर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार समय–समय पर आवश्यक** व्यवस्थाएँ पक्ष को सुनिश्चित करनी होगीं एवं प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

2– भविष्य में भवन उपविधियों के प्राविधानों का उल्लंघन होने की अवस्था में पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। तदुनसार वांछित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

19/2/16

(एन0के0चौधरी)

O/C अधि0अभि0(भवन)

Received
19/02/2016

1320

विभाग.................
फाइल संख्या.................
क्रम संख्या ....

3

आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

अधि0अभि0/ अर्जित / उपाध्यक्ष

कृपया पत्रावली का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें श्री विश्वनाथ गुप्ता द्वारा खसरा सं0 142/3, मौजा–तोरा, जो फतेहाबाद रोड पर स्थित है, पर पत्रावली सं0 1320/बीएफटी/01/07–08 द्वारा स्वीकृत व्यावसायिक भवन मानचित्र पर निर्माण पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0बन्देजिया बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा सं0 142/3, मौजा–तोरा, आगरा पर व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत कराया था, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 15.5.2014 को प्रदान की गई थी। मै0बन्देजिया बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा स्थल पर व्यावसायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु पक्ष को कतिपय आपत्तियों के निराकरण हेतु दिनांक 29.05.2015 को सूचित किया गया था, पक्ष द्वारा उक्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है–

1–	भूखण्ड का क्षेत्रफल	–	2091.51 वर्गमीटर	
			स्वीकृत	**स्थल के अनुसार**
2–	अनुमन्य भू–आच्छादन	–	37.93% [618.19 वर्गमी0]	37.93% [618.19 वर्गमी0]
3–	अनुमन्य एफ.ए.आर.	–	1.01 [2111.23 वर्गमी0]	1.01 [2111.23 वर्गमी0]
4–	ऊँचाई	–	15.22 मी0	15.22 मी0
5–	सेटबैक	–	सामने – 17.55 मी0	17.55 मी0
			पीछे – 11.50 मी0	11.50 मी0
			– 7.23 मी0	7.23 मी0
			– 7.25 मी0	7.25 मी0
6–	पार्किंग	–	आवश्यक – 31 Nos.	
			प्रस्तावित – 31 Nos.	

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है–

1– **वर्गीकरण :** आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र–ब पर अंकित समस्त सूचनायें अंकित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर सम्मुख संलग्न है।

2– **अभिलेखों का जमा किया जाना :**

(a) आवेदक द्वारा प्राधिकरण में अनुज्ञापित वास्तुविद् श्री गौरव शर्मा (लाईसेंस सं0 सीए/2003/30603) व्दारा निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन सहित पूर्णता मानचित्र की वांछित 03 प्रतियॉं प्रस्तुत की गयी हैं तथा श्री गौरव शर्मा (लाईसेंस सं0 सीए/2003/30603) व्दारा भवन निर्माण का पर्यवेक्ष किया गया है।

(b) आवेदक द्वारा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा द्वारा जारी अग्निशमन प्रमाण–पत्र सं0 2015/7589/एजीए/आगरा/432/सी0एफ0ओ0/14, दिनांक 02.03.2015 प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर अग्निशमन का यह प्रमाण–पत्र वर्ष 2016 हेतु मान्य है। प्रमाण–पत्र पत्रावली पर सम्मुख संलग्न है।

(c) भवन की संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के संबंध में अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण–पत्र एवं संरचनात्मक अभियंता श्री हिमांशु जैन (लाईसेंस नं0 एम–बी2169/4) द्वारा प्रमाण–पत्र दिया गया है, जो पत्रावली पर सम्मुख संलग्न है।

(d) सम्बन्धित वास्तुविद्, साईट इंजीनियर, भू–स्वामी व्दारा संयुकत रूप से इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया गया है कि भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र निर्धारित विशिष्टियों, गुणवत्ता तथा परिशिष्ट–7 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाईडलाइंस पर आधारित स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजायन एवं भूकम्परोधी समस्त प्राविधान किए गए हैं।

(e) स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं एस0टी0पी0 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो पर्यवेक्षण करने वाले आर्किटैक्ट श्री प्रकाश ताले (लाईसेंस नं0 सीए/70/5381) द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(f) उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, आगरा रीजन, आगरा द्वारा जारी अनापत्ति पत्र सं0 उ0नि0/आगरा री0/निरीक्षण, दिनांक 27.04.2015 एवं उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा जारी एन0ओ0सी0 सं0 70/वि0सु0नि0(मेरठ)/निरी0/जेनरेटर दिनांक 30.05.2015 की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है।

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :

(1) फायर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार समय–समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं पक्ष को सुनिश्चित करनी होंगी एवं प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रीवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) समस्त शर्तों एवं उपविधियों के प्राविधानों का उल्लंघन होने की अवस्था में पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा और तदनुसार वांछित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

अतः पृष्ठ सं0 03 से 04तक अंकित तकनीकी आख्यानुसार उपरोक्त शर्त/प्रतिबधों के अधीन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्रावली संस्तुति सहित अग्रसारित है।

JE 04/02/16
अवर अभियन्ता

अवर अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण

19/2/16

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

w.e.f.20-4-17

अधि0अभि0 / मु0न0नि0 / सचिव

कृपया दायीं ओर संलग्न मै0बन्देजिया बिल्डर्स प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 02.06.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आवेदक द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में जमा धरोहर राशि रू0 3.00 लाख वापस किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि विकासकर्ता द्वारा दिनांक 15.05.2017 को खसरा सं0 142/3, मौजा तोरा, आगरा पर व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत कराते हुये स्वीकृति के अनुसार स्थल पर निर्माण कार्य कराते हुये प्रश्नगत निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की की गई है, जो वर्तमान में चालू हालत है।

अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जमानत धनराशि रू0 3.00 लाख वापस किये जाने हेतु पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अवर अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

वी0 पी0 सिंह

सहायक अभियन्ता (भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण

05/06/17

ए.के. सिंह
नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण

(एस. सी. गौड़)
मुख्य नगर नियोजक CTP
आगरा विकास प्राधिकरण

कार्यालय-उपाध्यक्ष
रजिस्टर क्रमांक 385
पत्र प्राप्ति का दिनांक 19-06-2017

17-6-17
(हरी राम)
सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

21/6/17
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

Bill Passed
Rs 300000=00

14/8/17

(1320)

विभाग..........................
फाइल संख्या..........................
क्रम संख्या ....

(5)

आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

अधि0अभि0(भवन),

कृपया मै0बन्देजिया बिल्डर प्रा0लि0 द्वारा ताजगंज वार्ड, आगरा में स्थित खसरा संख्या–142/2, मौजा–तोरा, तहसील व जिला आगरा पर निर्मित व्यवसायिक भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गत पृष्ठ पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 19.02.2016 को अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

अतः उपाध्यक्ष महोदया द्वारा प्रदत्त उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 19.02.2016 के क्रम में विकासकर्ता को निर्गत किये जाने वाला भवन उपविधियों में निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार कर दाहिनी ओर हस्ताक्षर हेतु संलग्न कर दिया गया है।

19/2/16

19/2/16